2016 का विधेयक संख्यांक 322

[दि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (सेकेंड अमेडमेंट) बिल, 2016 का हिन्दी अनुवाद]

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2016 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2007 के अधिनियम संख्यांक 29 की दूसरी अनुसूची का संशोधन ।

2. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 की दूसरी अनुसूची में क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)
"6	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरुपति सोसाइटी	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरुपति
7	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, बेरहामपुर सोसाइटी	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, बेरहामपुर ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 (अधिनियम), प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के कतिपय संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित करने और इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्रबंध, शिक्षा, विज्ञान और कला की शाखाओं में अनुदेश और अनुसंधान का तथा ऐसी शाखाओं में विद्या की समुन्नति और ज्ञान के प्रसार के लिए और ऐसे संस्थानों से संलग्न कतिपय अन्य विषयों का उपबंध करता है । प्रारंभ में, देश भर में फैली प्रौद्योगिकी संस्थानों की बीस सोसाइटियों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के रूप में अधिनियम में सम्मलित किया गया था और उन्हें अधिनियम की पहली अनुसूची में शामिल किया गया था ।

2. अधिनियम को वर्ष 2012 में, उसकी पहली अनुसूची में दस और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सम्मिलित करते हुए पहली बार संशोधित किया गया था और साथ ही उसमें पांच नए भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों को सम्मिलित करते हुए एक दूसरी अनुसूची को अंतःस्थापित किया गया था । इस अधिनियम को वर्ष 2014 में, अधिनियम में तीसरी अनुसूची को जोड़ कर भारतीय इंजीनियरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर को सम्मिलित करके आगे और संशोधित किया गया था ।

3. आंध्र प्रदेश राज्य के द्वि-विभाजन के परिणामस्वरूप और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की तीसरी अनुसूची के साथ पठित उसकी धारा 93 में उपबंधित किए गए अनुसार, केन्द्रीय सरकार से यह अपेक्षित था कि वह आंध्र प्रदेश में एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और एक भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना करे । राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016 के अधिनियमन द्वारा स्थापित किया गया था और उसे उसकी पहली अनुसूची में सम्मिलित किया गया था ।

4. अब केन्द्रीय सरकार ने अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अधीन आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान और ओड़िशा राज्य के बेरहामपुर में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान को सम्मिलित करने का विनिश्चय किया है । तद्नुसार, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016 अधिनियम का संशोधन करने के लिए है ताकि तिरुपति स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान तथा बेरहामपुर स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान को अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किया जा सके ।

5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
2 दिसंबर, 2016

प्रकाश जावड़ेकर

वित्तीय ज्ञापन

यह विधेयक तिरुपति और बेरहामपुर स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव करता है । तिरुपति और बेरहामपुर स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों को उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के योजना शीर्षों के अधीन केन्द्रीय सरकार की सारवान् सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ।

2. चालू वित्तीय वर्ष के लिए, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरुपति की स्थापना के लिए चालीस करोड़ रुपए की रकम का आबंटन किया गया है । चालू वर्ष के बजट प्राक्कलन में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, बेरहामपुर के लिए ऐसा कोई उपबंध नहीं किया गया है । तथापि, तीन वर्षों में 137.30 करोड़ रुपए (63.62 करोड़ रुपए अनावर्ती पूंजी व्यय के रूप में, 63.68 करोड़ रुपए आवर्ती व्यय के मद्दे और 10.00 करोड़ रुपए आकस्मिक व्यय के रूप में) और 152.79 करोड़ रुपए (71.41 करोड़ रुपए अनावर्ती पूंजी व्यय के रूप में, 70.06 करोड़ रुपए आवर्ती व्यय के मद्दे और 11.32 करोड़ रुपए आकस्मिक व्यय के रूप में) का परिव्यय इस अनुबंध के साथ किया गया है कि निधियों की मंजूरी, वार्षिक बजट संबंधी व्यवहार के भाग रूप में अपेक्षा का निर्धारण करने के पश्चात् वृद्धि दर के आधार पर की जाएगी ।

3. विधेयक में और कोई आवर्ती और अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं है ।

GMGIPMRND—3680LS(CRC)—05-12-2016.